न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रेनवाल मांझी

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 258 / 2014

दर्ज दिनांकः 27 / 11 / 2014

निर्णय दिनांकः 29 / 06 / 2018

1. प्रकाश पुत्र सीताराम
2. कमल पुत्र सीताराम
3. रमेश पुत्र राधेश्याम
4. संजय पुत्र राधेश्याम

सागरत जातियान रैगर, निवासीयानः रेनवाल मांझी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र चून्या
2. राधेश्याम पुत्र चून्या
3. पप्पू पुत्र चून्या
4. बंशी पुत्र हंसराज

नाबालिग संरक्षक माता सुमन धर्मपत्नि स्व. हंसराज

5. विशाल पुत्र हंसराज
6. सुमन देवी धर्मपत्नि स्व. हंसराज
7. गोरा देवी धर्मपत्नि स्व. चून्या
8. सुरेश पुत्र स्व. बिरदीचंद
9. बनवारी पुत्र स्व. बिरदीचंद
10. राकेश उर्फ कालू पुत्र स्व. बिरदीचंद
11. कैलाश पुत्र स्व. बिरदीचंद

Scanned by CamScanner

12. सुन्दर देवी धर्मपत्नि स्व. बिरदीचंद

13. नानगराम पुत्र गंगाराम

14. मोती पुत्र स्व. भूरा

15. बाबूलाल पुत्र स्व. भूरा

16. जयनारायण पुत्र स्व. भूरा

17. लाडा देवी धर्मपत्नि स्व. भूरा

समस्त जातियान रैगर निवासीयानः रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

18. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

19. सब रजिस्ट्रार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी/प्रार्थी ने वाद पत्र मान्य न्यायालय में पेश किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। विवादग्रसत आराजी खतौनी संख्या 203 के खसरा नंबर 930, 931 लगायत 935, 938, 939, 940, 941, 943 कुल किता 11 कुल रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा ग्राम रेनवाल मांझी, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की पैत्रिक सम्पत्ति व कब्जाशुदा आराजी है जिसका पर्चा सेटलमेन्ट संवत् 2011 में स्व. चून्या व स्व. छीतर पुत्रान नारायण के 1/2 हिस्से का नाम आया जो प्रार्थीगण का दादा लगता था एवं उक्त आराजी को प्रार्थीगण हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं स्व. छीतर व स्व. चून्या के वंश के है अर्थात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 स्व. चून्या व स्व. छीतर के पुत्र, पुत्र वधु व पत्नि व पोत्र है। उपरोक्त सिजरा खानदान अनुसार स्व. छीतर व स्व. चून्या की पर्चाशुदा 1/2 हिस्से की आराजी के प्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 हकदार है एवं उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैत्रिक सम्पत्ति है एवं प्रार्थीगण स्व. चून्या के पोते है एवं पर्चा सेटलमेन्ट के वक्त स्व. चून्या व स्व. छीतर के 1/2 हिस्से का पर्चा आया था जिसमें स्व. चून्या के हिस्से में प्रार्थीगण का 4/60 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 2/60 एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 7 का 2/20 हिस्सा व 4 लगायत 6 का 1/20 हिस्सा है एवं स्व. छीतर के 1/4 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 के विभाजन से 930/3, 931/2, 932, 933, 934/2, 935/2, 939, 940, 941, 943, 938, 934/1, 935/1, 930/1, 931/1, 930/2 राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुआ जबकि प्रार्थीगण अपने दादा की खातेदारी की आराजी पर उपरोक्त हिस्से अनुसार काश्त करता चला आ रहा है व खातेदार काश्तकार है। स्व. छीतर व स्व. चून्या की पर्चाशुदा आराजी 1/2 हिस्से सिजरा खानदान अनुसार प्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है उस पर संयुक्त परिवार में रहते हुये आराजी को काश्त करते चले आ रहे है एवं संपूर्ण आराजी के भू–भाग में प्रार्थीगण का हिस्सा है एवं सिजरा अनुसार प्रार्थीगण एवं स्व. चून्या व स्व. छीतर के पौत्र है एवं दादा की सम्पत्ति व पर्चाशुदा आराजी में से कानूनन प्रार्थीगण का हिस्सा बनता है एवं हिस्से अनुसार आराजी को आज तक काश्त करते चले आ रहे है। पर्चा सेटलमेन्ट के वक्त प्रार्थीगण के दादा स्व. चून्या व स्व. छीतर के नाम पर्चा आया था उक्त अनुसार जमाबंदी के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होना चाहिये था मगर बदनीयतपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 13 व 14 लगायत 17 के बुजुर्ग स्व. भूरा व स्व. रामपाल ने अपने नाम इन्द्राज करवा लिया जबकि स्व. चून्या व स्व. छीतर की पर्चाशुदा आराजी के 1/2 हिस्से से अप्रार्थी संख्या 13 व 14 लगायत 17 का किसी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है न उक्त आराजी को आज तक काश्त की है। अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने का फायदा उठाकर प्रार्थीगण को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल व बेचान कर अपने मंसूबो में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा एवं व्यर्थ में मुकदमेंबाजी बढेगी एवं खर्चे से जेरबार होगे इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिये अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे न अन्य से करावे

Scanned by CamScanner

एवं आराजी के किसी भू-भाग को बेचान नहीं करे एवं रहन, बेय, मुन्तकिल नही करे एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की तहरीर अप्रार्थी संख्या 18 व 19 को जारी करने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 27.11.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 व 13 लगायत 17 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 व 13 लगायत 17, मूल वाद पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आराजीयात के अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का हिस्सा है अथवा नहीं इस बिन्दु का निर्धारण वाद के अंतिम निर्णय के समय किया जावेगा। वादग्रस्त आराजीयात के अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी को कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी बमुकाबिले प्रार्थी अप्रार्थी प्रबल है। न्यायहित में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/06/2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रेनवाल मांझी में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी

Scanned by CamScanner